(124)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1019–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–2–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, प्रकरण कमांक 625/अपील/2012–13.

.....

श्रीमती संगीता पति श्री अनिल कुमार चौधरी (जैन)
निवासी ग्राम केसूर तहसील व जिला धार

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–श्रीमती मोयनबाई पति स्व0श्री हुक्माजी
2–भेरू पिता स्व0श्री हुक्माजी
दोनों निवासी ग्राम कंड़ारिया तहसील व जिला धार

.....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक– आवेदिका
श्री अनुराग व्यास, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/10/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–2–2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार धार के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि कि ग्राम केसूर तहसील व जिला धार स्थित भूमि सर्वे नम्बर 27/2 रकबा 0.961 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 28/4 रकबा 0.253 हेक्टेयर भूमि उसके द्वारा हुक्मा से पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है अतः उसका नामान्तरण स्वीकृत

किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 7–12–11 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–7–2013 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–2–14 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 19–ए/2013 में दिनांक 5–11–15 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमियों का आवेदक को भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किया गया है और उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रथम व्यवहार अपील कमांक 77–ए/2015 में आदेश पारित कर अपील निरस्त कर दी गई है । इस आधार पर कहा गया कि व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का विनिश्चय हो जाने से दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) व्यवहार न्यायालय के आदेशों पर वरिष्ठ न्यायालय का स्थगन नहीं होने से व्यवहार न्यायालय का आदेश प्रभावशील है, उक्त स्थिति पर बिना विचार किये दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के पक्ष में आवेदिका के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया था, जिसे निरस्त करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है, क्योंकि पंजीकृत विकय पत्र की जॉच करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि हुक्मा की मृत्यु 3 वर्ष पूर्व हुई है और हुक्मा द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय आवेदक को नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का बिना निराकरण किये आदेश पारित किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश यह मान्य किया है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक की आपत्ति का निराकरण नहीं किया गया है । इस बीच व्यवहार न्यायालय प्रचलित प्रकरण में विभिन्न आदेश दिनांक 5—11—15 व 16—12—12 पारित हुये हैं । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में पुनः उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय लें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर